

मूल वाद में बिली

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन भाग के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०५०५२०

उपवान

वचन पंडुराम आदि

वादा वाक्य :- ES 271/21

मुकदमा नम्बर :- 215/2021

निर्णय दिनांक :- 9-12-2021

वादी की ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9-12-2021 को मुद्दा शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आवेश दिया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला चौधरी के आदेश सं० 16/15 के

खसरा सं० 28, 31, 103, 138/1 कुल 1.5150 हेक्ता जमीन का अधिकार मुक्ति प्रतिवादी सं० 1-पंडुराम के पास है राजस्थान में यह है कि श्री प्रतिवादी सं० 1-पंडुराम के वापस वादी सं० 1 व प्रतिवादी सं० 2-शुभराम, प्रतिवादी सं० 2-शुभराम के निवास परानर के आलावाक आलावाक वापस मिले जाते हैं कि प्रतिवादी सं० 3 व पुने अपना समूची एक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पास है समाज कर चुका कर लिया है इसलिए समाज मिले जमीन हिस्से पर पंजाबन समाज का पैसा पैसा मूल्य अज्ञात व श्री शकुन्तला चौधरी मुक्ति के लिए रहने दोला रहना मुझे होने के उपरान्त ही राजस्थान रिपोर्ट में अमल परामर्श किया जाये सभी नाम का डिडी का मांग मिला जाये

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पक्षा डिग्री आज दिनांक 9-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
9-12-2021